6P

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना

पत्रांकः– BRRDA(H8)-43/2023-2727 दिनांक-30-09-2024

आम सूचना

01 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रभावी होने के फलस्वरूप उक्त तिथि के उपरान्त कार्यान्वित कराये गये कार्यो जिनके प्राक्कलन में आउटपुट आधारित वस्तु एवं सेवा कर को सम्मिलित नहीं किया गया है, के मामलों में वस्तु एवं सेवा कर के अतिरिक्त कर दायित्व के दावों का ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नियमानुसार सत्यापन कर भुगतान किया जा रहा है। इस संबंध में विभाग द्वारा पत्रांक–761, दिनांक–23.03.2023, पत्रांक–2233, दिनांक–13.08.2024 तथा पत्रांक–2397, दिनांक–05.09.2024 के माध्यम से सभी कार्य प्रमण्डलों को विस्तृत निदेश निर्गत किया जा चुका है, जिनकी प्रति विभागीय वेवसाईट पर मौजूद है।

जिन संवेदकों को विषयांकित मामले में GST के अतिरिक्त कर दायित्व विभाग के विरूद्ध लम्बित है, वे दिनांक–31.12.2024 तक निश्चित रूप से पत्रांक–2397, दिनांक–05.09.2024 का अनुश्रवण कर सभी अभिलेखों को संलग्न करते हुए अपना दावा प्रमण्डल में समर्पित कर दें। कार्य प्रमण्डल इन दावों को Checklist के अनुसार मिलान कर निश्चित रूप से दिनांक–30.01.2025 तक BRRDA को समर्पित कर दिया जाय। पूर्व में समर्पित ऐसे दावे जिन्हें आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण शून्य अनुशंसित किया गया है, को उपरोक्त निर्धारित तिथि तक संवेदक द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले दावों पर भविष्य में विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा दावें को काल बाधित माना जायेगा।

(हस्ताक्षर) 28/9/24

(मनोज कुमार)
अपर सचिव, ग्रामीण कार्य
विभाग–सह–अपर मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा

CamScanner